न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 34 / 2023

1. श्रीमति सुगनी देवी पत्नी जसराज रेबारी जाति रेबारी निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

2. श्रीमति कंकु पत्नी रामकरण जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री महावीर गुर्जर, श्री सुनील कुमार वैष्णव
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 67 में दर्ज खसरा नं. 701 रकबा 0.35 और खसरा नम्बर 702 रकबा 0.40 कुल किता 02 कुल रकबा 0.75 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमति कंकु पत्नी रामकरण द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पत्थरगढी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट करते हुए पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कथन करते हुए, प्रार्थना–पत्र साबित करने का भार प्रार्थी पर होना बताया। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सवाईपुरा के खाता संख्या 67 संवत 2074–2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

स्वीकार किया जाकर मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू०अ०नि० क्षेत्र सिंगावल के खाता सं० 67 मे दर्ज खसरा नं. 701 रकबा 0.35 और खसरा नम्बर 702 रकबा 0.40 कुल किता 02 कुल रकबा 0.75 हैक्टर हेतु नायब तहसीलदार बान्दनवाडा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)